

Reg No. SCELE/239/2022
CNR-MP-140-800-1881-2022
एम.पी.ई.बी. वि. जगदीश

22.07.2025

परिवादी द्वारा श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
आरोपी अनुपस्थित।
प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।
आरोपी का जारी गिरफ्तारी वारंट तामील-अदम तामील
वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण का परिशीलन किया गया।

प्रकरण के परिशीलन से यह ज्ञात होता है, कि प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है। प्रकरण में आरोपी परिवाद-पत्र प्रस्तुति दिनांक 19.10.2022 से ही अनुपस्थित है। आरोपी का जारी गिरफ्तारी वारंट बार-बार अदम तामील इस न्यायालय में प्राप्त हो रहे है। इसके पूर्व में भी जारी गिरफ्तारी वारंट दिनांक 24.08.2023 व 21.09.2023 अदम तामील मय पंचनामा के इस टीप के साथ प्राप्त हुआ कि आरोपी कंबल बेचने बाहर गया है, कब आएगा, पता नहीं। उक्त पंचनामों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि आरोपी अपने आपको बचाने के लिए कहीं चला गया है या फरार हो गया है। उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा-335 भा.ना.सु.सं. के तहत फरार घोषित किया जाता है।

अतः आरोपी जगदीश पिता गोरीलाल बंजारा, उम्र-40 वर्ष, निवासी भुतिया बाग दैथली बुजुर्ग तहसील गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.) का स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाकर उसका इंद्राज स्थाई गिरफ्तारी वारंट रजिस्टर में किया जावे तथा थाने से उसका आमद नंबर तलब किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर विविध समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे तथा प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याई से इस आशय का नोट लगाया जावे कि आरोपी प्रकरण में फरार है प्रकरण नष्ट न किया जावे, सुरक्षित रखा जावे।

सही / -
(पुंजिया बारिया)
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम
गरोठ, जिला-मंदसौर (म.प्र.)